"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 640] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 2019 — आश्विन 8, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–19/2019/18. — छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) की धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम 14 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"14–क. नये पट्टे के संबंध में विकास प्रभार.– नियम 3 के अंतर्गत स्थल योजना की तैयारी की प्रकिया पूर्ण होने पर, यदि भूमिहीन व्यक्ति, जो अधिनियम के अंतर्गत पट्टा प्रदान करने हेतु पात्र हो, के द्वारा शासकीय भूमि पर अधिभोग का कोई नया प्रकरण प्रकट हो और अधिनियम के अंतर्गत अधिभोगी से आवेदन प्राप्त करने तथा पट्टा प्रदान करने हेतु उसकी पात्रता के सत्यापन की सम्यक् प्रकिया पूर्ण करने के पश्चात्, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को पट्टा प्रदान करने संबंधी निर्णय लिया जाता है, तो देय विकास प्रभार निम्नानुसार होगा :–

(एक) पट्टाधारक को दस वर्षों तक निम्न दरों पर वार्षिक विकास प्रभार का भुगतान करना होगा :–

स. क्र.	शहरी क्षेत्रों का प्रकार	शुल्क (रू.) प्रति वर्गफुट, प्रति वर्ष
(1)	नगर पंचायत	5.00
(2)	रायपुर शहर को छोड़कर राज्य के समस्त नगर निगम/नगर पालिका	10.00
(3)	रायपुर शहर	15.00

(दो) विकास प्रभार, चार समान किश्तों में माह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी में देय होगा।

(तीन) पट्टाधारक से प्राप्त किया गया विकास प्रभार, शासकीय कोष में जमा किया जायेगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप–सचिव.

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ 5–19/2019/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–19/2019/18 दिनांक 30–09–2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 30th September 2019

NOTIFICATION

No. F 5-19/2019/18. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyan, 1984 (No. 15 of 1984), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Rules, 2019, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After rule 14, the following shall be added, namely :-

"14-A. Development Charges in respect of New Lease.— After the process of preparation of site plan under rule 3 is completed, if any new case of Government land under occupation by landless persons who are eligible for grant of lease under the Act are detected, and after due process of receipt of application from the occupier, and verification of his eligibility for grant of lease under the Act is completed, in cases where it is decided by the Competent Authority to grant lease to the applicant, the development charges payable shall be as follows :-

(i) The lease holder shall pay for ten years an annual development charge at the following rates:-

S. No.	Type of Urban Area	Rate (in Rs.) per sft. per year
(1)	Nagar Panchayat	5.00
(2)	All Municipal Corporations/Municipalities in the State, except Raipur city	10.00
(3)	Raipur city	15.00

(ii) The development charges shall be payable in four equal installments in the month of April, July, October and January.

(iii) The development charges received from the lease-holder shall be deposited in the Government Treasury."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.